फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

देवेन्द्र बनाम बालाराम

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्थगन प्रा. पत्र

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
0	आज यह प्रा.पत्र सायल के वकील द्वारा मय प्रा0 पत्र 212 आर. टी.एक्ट पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोप्रति जमाबन्दी 2069–2075 पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। हमने वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सूविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.04.2020 तक पाबन्द किया जाता हैं कि विवादित आ.ख. नं0 हाल 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 410, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 440, 441, 488, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 865, 308, वाके ग्राम भैसडावत तह0 गोविन्दगढ में गैरसायलान को मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु एवं सायल के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत न करने हेतु पाबन्द किया जाता है। उक्त आदेश की पालना में कोई एतराज हो तो नियत दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावें। आदेश जारी हो।पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब कर दिनांक 21.04.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ अलवर	
21/4/20	[illegible] कोविड-19 [illegible] दिनांक 11/8 को पेश हो। [illegible]	
11/8/20	[illegible] कोविड-19 [illegible] दिनांक 13/10 को पेश हो। [illegible]	
13/10/20	[illegible] दिनांक 21/1/21 को पेश हो। [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अह जा
14.2.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली दीर्घावधि से तलबी में है। आदेशिका दिनांक 12.1.2021 में पुन तलबाना पेश करने हेतु लिखा गया था। पुन तलबाना पेश करने के आशय से प्रार्थीगण को अनेक अवसर प्रदान किये गये है। तथा अंतिम अवसर के रूप में भी अनेक अवसर प्रदान किये गये है। इसके उपरांत आदिनांक तलबाना पेश नही किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में प्रार्थना पत्र-212 को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थनापत्र -212 RTA सि.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	